निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 13 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून के माह 10/2015 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11/08/2020 से 19/08/2020 एवं 22/08/2020 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा रायपुर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल का संचालन एवं सीवर व्यवस्था सुचारु रूप से किये जाने तथा तत्संबंधी अनुश्रवण किया जाता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	-	40.72	17.35	23.37	286.62	218.15	68.47
2016-17	23.37	68.47	162.99	170.25	16.11	249.74	289.49	28.71
2017-18	16.11	28.71	268.58	310.34	-25.65	1504.53	679.27	853.98
2018-19	-25.65	853.98	377.23	463.39	-111.81	1244.40	627.88	1470.49
2019-20	-111.81	1470.49	341.01	219.33	9.87	2226.52	3170.92	526.09

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(NRDWP एवं WORLD BANK)

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	51.74	47.23	4.51
2017-18	4.50	32.40	25.39	11.52
2018-19	11.52	35.99	24.04	23.46

2019-20	23.46	892.35	987.13	(71.32)

जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	-	15.00	-	15.00
2016-17	15.00	13.00	24.92	3.08
2017-18	3.08	34.62	27.55	10.15
2018-19	10.15	50.46	30.33	30.28
2019-20	30.28	39.08	50.56	18.80

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	-	271.62	218.15	53.47
2016-17	53.47	185.00	217.34	21.13
2017-18	21.13	1437.51	626.33	832.31
2018-19	832.31	1157.95	573.51	1416.75
2019-20	1416.75	1295.09	2133.23	578.61

(ii) इकाई को बजट आवंटन योजना हेतु केंद्रीय सहायता, राज्य अनुदान एवं स्वयं के श्रोत से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए **इकाई "सी" श्रेणी** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग

मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान

महाप्रबन्धक, जल संस्थान

अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान

अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान

सहायक अभियंता, जल संस्थान

कनिष्ठ अभियंता, जल संस्थान

2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा जल संभरण की योजनाए बनाना, उनकी प्रोन्नति करना, जांच के उपरांत शुद्ध पेयजल वितरण करना तथा सीवर व्यवस्था का शोधन एवं उन्नति द्वारा देहरादून जिले के रायपुर क्षेत्र को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **10/2016, 03/2018 एवं 02/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य, जिला तथा डिपाजिट योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-1 UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशो का अवहेलना कर 41,113 घरेलू - अघरेलू संयोजन में मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना ।

14th Finance Commission Report के Para No. 15.50 के Point No. 92 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था ।

"States (urban and rural bodies) should progressively move towards 100 *per cent* metering of individual drinking water connections to households, commercial establishments as well as institutions. All existing individual connections in urban and rural areas should be metered by March 2017 and the cost of this should be borne by the consumers. All new connections should be given only when the functioning meters are installed"

इसके अतिरोक्त U.P. Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के अंतर्गत बिंदु संख्या 69 के अनुसार - "The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with water works of the Jal Sansthan" कहा गया है जबकि कार्यालय द्वारा मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अ-घरेलू संयोजन में विगत कई वर्षो से जलापूर्ति किये जा रहे है जो प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

कार्यालय जलसंस्थान, रायपुर देहरादून द्वारा लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर प्रस्तुत सूचना (मार्च 2020 तक) से मीटर संयोजन से संबन्धित निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है -

संयोजन का प्रकार	कुल संख्या	मीटर सहित	मीटर विहीन
घरेलु (domestic)	40634	0	40634
अ-घरेलु (commercial)	509	0	509
कुल संयोजनं	**41143**	**0**	**41143**

चूंकि इकाई स्वायत संस्था है कार्यालय के व्यय भार प्राप्त राजस्व से होना है, मीटर संयोजन न किए जाने से राजस्व (जल कर) के वसूली की कमी से इंकार नहीं किया जा सकता , मीटर संयोजन का कार्य न किए जाने के संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे

कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र स. 484/9299 नगर विकास अनुभाग -2 दिनांक 21 अप्रैल 1999 द्वारा घरेलू जलापूर्ति बिना मीटर के किए जाने संबंधी निर्णय लिए गया था एवं जिन संयोजन पर मीटर स्थापित नहीं उन जल संयोजनों पर निर्धारित टेरिफ़्फ़ के अनुसार नगरी क्षेत्रांतर्गत उपभोक्ताओं से भवन के वार्षिक मूल्यांकन तथा ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत टोटियों के आधार पर जलमुल्य आदि लिया जा रहा है |

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि **14th Finance Commission Report** मार्च 2017 मे स्पष्ट है कि शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना है एवं नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था एवं मीटर संयोजन न किए जाने से जल मूल्य प्राप्ति मे कमी से इंकार नहीं किया जा सकता है |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है |

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-1 रु 9.24 लाख लेबर सैस की कटौती न किया जाना।

शासनादेश (उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवा योजना विभाग) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागो के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की कुल लागत पर 1 प्रतिशत दर से लेबर सैस की कटौती किया जाना अनिवार्य है

विश्वबैंक पोषित उत्तराखंड अर्द्ध नगरीय क्षेत्र हेतु पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त निर्माणकार्य (पेयजल आपूर्ति योजना) हेतु दिनांक 20.07.2018 को आयोजित टी°ए°सी° की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में परीक्षणोपरांत आगणन की आंकलित राशि रु 2255.25 लाख के सापेक्ष रु 2247.52 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य हेतु एक अनुबंध ठेकेदार मैसर्स आर° जी° इंड्रस्ट्रीज, जालन्धर के साथ धनराशि रु 1752.41 लाख का गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त होने की तिथि क्रमश: 03.07.2019 एवं 02.12.2020 थी। कार्य प्रगति पर था एवं कार्य पर लेखा परीक्षा तिथि तक चतुर्थ चालू देयक के अनुसार लगभग रु 9.24 करोड़ व्यय किया जा चुका था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार से बिलो से राज्य में प्रचलित/लागू लेबरसेस के प्रविधाओं/नियमों के अनुसार लेबर सेस कि कटौती नहीं कि जा रही थी जबकि कार्य कि कुल लागत (कुल व्यय) पर एक प्रतिशत कि दर से रु 9.24 लाख लेबरसेस की कटौती की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी थी।

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि भविष्य हेतु नोट कर लिया गया है एवं ठेकेदारों के बिलों से लेबर सैस कि कटौती कर ली जाएगी खंड के उत्तर से लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि को जाती है अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों / आवास से जल मूल्य, सीवर चार्ज की वसूली न किया जाना रु 13.00 लाख |

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 - (03 अधि0) /11- दिनांक 28-01-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है, यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून 03/20 के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य सीवर चार्ज रु 1299816 की वसूली लंबित पड़ी है जबकि देयकों उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किए गए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विछेदन की जानी चाहिए या तो संबन्धित विभागो / आवासो से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी । परंतु कार्यालय द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप रु 1299816 वसूली हेतु लंबित पड़ी हुए है ।

उक्त के संबंध मे अवगत करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे है जल्द ही वसूली कर ली जाएगी, यदि वसूली की कार्यवाही नहीं हो पायी तब विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बकाया की धनराशि 1 वर्ष ज्यादा से वसूली हेतु लंबित है ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 इकाई द्वारा नलकूपों में स्थित मोटर पम्प मे स्टेबलाइजर का अधिष्ठापन ना किये जाने से परिहार्य व्यय रु 24.47 लाख ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, रायपुर, देहरादून के नलकूप मरम्मत संबन्धित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि कार्यालय के अधीन कुल नलकूप की संख्या 77 है ।

वोल्टेज स्टेबलाइजर स्थापित न होने के कारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक मोटर मरम्मत हेतु नलकूपों जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है, पर अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ा ।

विवरण निम्नवत है -

(i)

क्र. स.	वर्ष	नलकूपों की संख्या जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित है	मरम्मत पर किया गया खर्च (रु)
1	2017-18	27	287824
2	2018-19	40	1563469
3	2019-20	46	2012432
योग		113	3863725

नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित है, में प्रति नलकूप मरम्मत पर खर्च = 3863725/113= रु 34192

(ii)

क्र. स.	वर्ष	नलकूपों की संख्या जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है	मरम्मत पर किया गया खर्च (रु)
1	2017-18	50	1235312

2	2018-19	37	2255849
3	2019-20	31	2990398
	योग	118	6481559

नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है, में प्रति नलकूप मरम्मत पर खर्च = 6481559/118 = रु 54928

इस प्रकार प्रति नलकूप अतिरिक्त मरम्मत खर्च = रु 54928-34192= रु 20736

अतः नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है की मरम्मत पर कुल अतिरिक्त खर्च = 118*20736= रु 2446848.00

यदि सभी नलकूपों में वोल्टेज स्टेबलाइजर अधिस्थापित किया जाता तब नलकूप का मोटर हाई वोल्टेज के कारण से ख़राब होने का सम्भावना में कमी आ सकती थी एवं भविष्य मे भी अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है, पेयजल योजना के अंतर्गत जिस मोटर पंप में स्टेबलाइजर अधिस्थापित है उसकी मरम्मत किये जाने की संख्या उसी योजना के दूसरे स्टेबलाइजर विहीन मोटर पंप से कम है, स्टेबलाइजर अधिस्थापित मोटर पंप की आयु तथा कार्य कुशलता स्टेबलाइजर विहीन मोटर पंप से अधिक होता है एवं मरम्मत किये जाने की संभावना कम होती है, बावजूद इसके मोटर पम्प में स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं कराये गए ,उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे तथ्यों एवं आंकड़ों कि पुष्टि करते हुए कहा कि अवशेष नलकूपों पर स्टेबलाइजर अधिस्थापना के संबंध मे शीघ्र कार्यवाही कि जाएगी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि अवशेष मोटर पंप में स्टेबलाइजर अधिस्थापित किया जाता तो मोटर पंप मरम्मत में विगत तीन वर्षो में ₹ 24.47 लाख धनराशि का अंतिरिक्त व्यय नहीं होता ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग दो – अ	भाग दो – ब
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

- शून्य -

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**
श्री वी. सी. रमोला	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रायपुर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (AMG-II) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)